जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/ak/04 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 26 अगस्त 2021

बीकानेर,खान विभाग,राजस्थान के अधिकारी ही लगा रहे राज्य सरकार को करोड़ो रुपयों का चुना!!!!

अवैध खनन के विरुद्ध आमजन

भाग-1

दैनिक भास्कर मे दिनांक 19/08/2021 को प्रकाशित खबर

भास्कर खुलासा • रसूखदार को फायदा पहुंचाने अफसरों ने अपने ही विभाग को घाटा लगाया

21 साल पहले निरस्त की गई बजरी की दो खानें मास्टर प्लान में आने के बावजूद बहाल, यही हवाला देकर कलेक्टर ने एनओसी नहीं दी थी

मनमोहन अग्रवाल | बीकानेर

खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों ने 21 साल पहले बीछवाल में निरस्त की गई बजरी की दो खानों को शहरी क्षेत्र के मास्टर प्लान में आने के बावजूद बहाल कर दिया है। इसके लिए ऑक्शन से खनन पट्टे देने के नियम और सरकार को होने वाले करीब दो करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान की भी परवाह नहीं की गई।

सात नवंबर, 96 को बीकानेर तहसील के बीछवाल गांव में एक बीएसएम में राजकुमार बूब के नाम से बजरी खनन के दो पट्टे स्वीकृत किए गए थे। इनकी अवधि 20 साल यानी 17 फरवरी, 17 तक थी। पट्टाधारी ने 30 अगस्त, 99 से 17 फरवरी, 99 तक बकाया राशि (स्थिर भाटक) जमा नहीं करवाया तो 30 अगस्त, 99 से प्रतिभूति राशि जब्त कर खनन पट्टे निरस्त कर दिए गए। आठ सितंबर, 99 को खान विभाग ने क्षेत्र का कब्जा ले लिया और सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी कर एक अगस्त, 2000 से रिक्त क्षेत्र घोषित कर दिया। अब 21 साल बाद दोनों खनन पट्टे बहाल करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जबकि खनन क्षेत्र मास्टर प्लान में आता है। इसके अलावा राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली, 17 के मुताबिक राजकीय भूमि में डेलिनियेशन कर ई-ऑक्शन के जरिये ही खनन पट्टे दिए जा सकते हैं। सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी कर रिक्त घोषित किए गए क्षेत्र में पुराने सभी खनन पट्टे स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं। इन सभी नियमों को ताक पर रखते हुए खान मालिक की अपील पर न्यायालय अतिरिक्त निदेशक (खान), पर्यावरण एवं विकास निदेशालय उदयपुर ने दोनों खनन पट्टे बहाल करने के आदेश जारी कर दिए। बीकानेर खनि अभियंता से निदेशक को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए पट्टे बहाली के संबंध में मार्गदर्शन मांगा है।

भास्कर EXPLAINER — नियमों को ताक पर रख खान मालिक को पहुंचाया फायदा

ऐसे बहाल हुए खनन पट्टे : खनन पट्टेधारी की ओर से छह जुलाई, 15 को बहाली के लिए एडीएम खान जोधपुर जोन के समक्ष अपील की गई। बाद में सुनवाई के पावर एडीएम खान, पर्यावरण एवं विकास उदयपुर निदेशालय को दे दिए गए। वहां सुनवाई के दौरान अपीलार्थी पट्टेधारी की ओर से कहा गया कि उन्हें पट्टे खंडित किए जाने की जानकारी ही नहीं मिली, कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। जवाब में एमई बीकानेर ने डाक डायरी पेश की जिसमें डाक लेने वाले के हस्ताक्षर थे। यह मान लिया गया कि हस्ताक्षर राजकुमारी बूब या पॉवर अटार्नी होल्डर किशनगोपाल गुर्जर के हैं, यह प्रमाणित नहीं होता। जबकि, डाक सरकारी कर्मचारी लेकर जाता है। इसके अलावा गुर्जर के उस समय खान विभाग की ओर से जारी क्ले की तीन पट्टे थे। ऐसे में बजरी के दो पट्टे निरस्त होने की जानकारी ना मिले यह संभव ही नहीं। दूसरा बहाली का आधार बताया गया कि वर्ष, 13-14 में बकाया राशि जमा करवा दी गई। जबकि, खान विभाग को तो किसी भी सूरत में इसे वसूल करना ही होता है। राशि भी एमनेस्टी योजना में जमा करवाई गई थी। इसके बावजूद एक जुलाई, 21 को बहाली के आदेश जारी कर दिए गए।

आवेदन लिए पर मास्टर प्लान के कारण कलेक्टर ने नहीं दी थी एनओसी : बीछवाल में बजरी के खनन पट्टे निरस्त करने और रिक्त क्षेत्र घोषित करने के बाद खान विभाग ने नए सिरे से पट्टे जारी करने के लिए आवेदन मांगे थे। कमल कांत व्यास की प्राथमिकता तय कर उसके पक्ष में पट्टा जारी करना तय हो गया, लेकिन मास्टर प्लान में आने के कारण बीकानेर कलेक्टर ने एनओसी नहीं दी और खनन पट्टे नहीं दिए जा सके। बाद में तीन अप्रैल, 13 को शासन की अधिसूचना के अनुसार नियमों में संशोधन किया गया जिसके तहत सरकारी भूमि पर अप्रधान खनिज के 27 जनवरी, 11 तक प्राप्त लंबित आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करने और ई-ऑक्शन से पट्टे जारी करने के आदेश हुए।

सरकार को करीब दो करोड़ रुपए का नुकसान
नियमों को दरकिनार बीछवाल में बजरी खनन के दो पट्टे बहाल करने से सरकार को करीब दो करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। पिछले साल कोलायत तहसील के गोलरी गांव में एक-एक हैक्टेयर भूमि प्लॉट का ई-ऑक्शन किया गया था। इससे प्रति प्लॉट प्रति हैक्टेयर 28 से 40 लाख रुपए का राजस्व मिला। बीछवाल में बहाल दोनों बजरी खनन पट्टे तीन-तीन हैक्टेयर के हैं। उन्हें ऑक्शन किया जाता तो दो करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। जबकि, बहाली पर 45 लाख रुपए अंतरिम अवधि के किराये के रूप में मिले हैं।

एमई राजेन्द्र बलारा बोले-एडीएम कोर्ट का विशेषाधिकार है

Q| बीछवाल में 21 साल पहले निरस्त बजरी खनन के दो पट्टे बहाल किए हैं?
A| न्यायालय एडीएम खान, पर्यावरण एवं विकास ने अपील पर निर्णय कर आदेश जारी किए हैं।

Q| दोनों पट्टे मास्टर प्लान में आते हैं। फिर बहाली कैसे?
A| न्यायालय एडीएम का विशेषाधिकार है। बहाली के आदेश मिले हैं। निदेशालय से मार्ग दर्शन मांगा है।

Q| दोनों पट्टे ऑक्शन होते तो कितना रास्व मिलता ?
A| पिछले साल गोलरी में एक-एक हैक्टेयर पट्टों के ऑक्शन पर करीब 40 लाख रुपए मिले हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता बोले-पूरा मामला संदिग्ध, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो

खनन मामलों के जानकार व आरटीआई कार्यकर्ता देवेन्द्रसिंह शेखावत बताते है कि वर्तमान में ऑक्शन कर खनन पट्टे देने का प्रावधान है और मास्टर प्लान में तो पट्टे दिए ही नहीं जा सकते। ऐसे में 21 साल पुराने पट्टे बहाल करना साफ जाहिर करता है कि खान अधिकारियों की अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की मंशा है। बहाली के आदेश पूरी तरह नियम विरूद्ध हैं और अधिकारी जानबूझकर ऐसी प्रक्रिया अपना रहे हैं जिससे अपीलार्थी को कोर्ट में फायदा मिल जाए। बहाली का आधार ही निराधार है। यह संभव ही नहीं कि जिसके तीन खनन पट्टे चल रहे हो उसे दो अन्य पट्टे निरस्त होने का पता ना चले। इसके अलावा 15 साल बाद कहना कि डाक डायरी में हस्ताक्षर पट्टेधारी या पॉवर अटार्नी होल्डर से मिलान नहीं खाते और इसे बहाली का आधार बनाना ही निराधार है। उच्च स्तर पर जांच कर बहाली के आदेश निरस्त करने चाहिए और सरकार को राजस्व नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है मामला?

दैनिक भास्कर,बीकानेर संस्करण मे दिनांक 19/08/2021 को प्रकाशित खबर के अनुसार खान विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमों को ताक पर रख कर खान मालिक को फायदा पहुचाने के आरोप लगाए गए|समाचार पत्र द्वारा बताया गया कि खान विभाग के अधिकारियों द्वारा 21 साल पहले बिछवाल मे निरस्त की गयी बजरी की दो खानों को शहरी क्षेत्र के मास्टर प्लान मे आने के बावजूद बहाल कर दिया गया|इसके लिए ऑक्शन से खनन पट्टे देने के नियम और सरकार को होने वाले करीब दो करोड़ रुपए के राजस्व नुक्सान की भी परवाह नहीं की गयी|खबर के अनुसार इस क्षेत्र के मास्टर प्लान मे आने के कारण बीकानेर कलेक्टर द्वारा एनओसी भी जारी नहीं की गयी थी|उसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा खनन पट्टे जारी कर दिये गए|साथ ही राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली 17 के तहत राजकीय भूमि मे डेलीनिएशन कर ई ऑक्शन के माध्यम से ही खनन पट्टे जारी करने का प्रावधान है|जिसका भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा पालना नहीं करवाई गयी|

खबर के अनुसार यह भी तथ्य सामने आया है कि खान मालिक द्वारा प्रस्तुत अपील की सुनवाई मे यह बताया गया है कि उसे पट्टे खंडित किए जाने की जानकारी ही नहीं मिली,कोई नोटिस भी नहीं दिया गया| अब सवाल यह खड़ा होता है कि यदि खान मालिक को पट्टे खंडित होने अथवा किसी प्रकार के नोटिस जारी होने की सूचना नहीं मिली है तो क्या वह इस खनन पट्टों पर अनवरत रूप से खनन कार्यों को जारी नहीं रखे हुए है?क्या विभाग को इस बात की भनक नहीं लगी कि खान मालिक द्वारा रिक्त स्थान घोषित खनन क्षेत्र मे अवैध खनन किया जा रहा है?

इस मामले मे बीकानेर खनिज अभियंता श्री राजेन्द्र बलारा की भूमिका संदिग्ध रही है क्यूंकि उनके द्वारा अपील के समय एवं राज्य सरकार/विभाग के आला अधिकारियों द्वारा जवाबतलब करने पर गलत/भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कर निरंतर गुमराह किया जाता रहा है|यदि वह समय रहते विभाग का पक्ष रखते हुए,राजस्व हित मे सही जानकारी उपलब्ध करवाते तो रिक्त क्षेत्र घोषित इन खानों के ऑक्शन से करीब 2 करोड़ रुपयों के राजस्व की प्राप्ति होती|

नियमों को ताक पर रख कर किए गए इस आवंटन से खान विभाग,बीकानेर के खनिज अभियंता श्री राजेन्द्र बलारा और विभाग के अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया खड़े हो गए है|

समाचार पत्र मे प्रकाशित खबर पर राज्य सरकार को प्रस्तुत की गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट मे खनिज अभियंता श्री राजेन्द्र बलारा ने स्वीकार किया कि आरएमएमसीआर 2017 के तहत राजकीय भूमि मे आवंटन किया जाना संभव नहीं है|

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग बीकानेर

तथ्यात्मक टिप्पणी

दैनिक भास्कर दिनांक 19.08.2021 में छपी खबर श्रीमती राजकूमारी बूब एमएल 38/96

श्रीमति राजकुमारी बूब पत्नि श्री ओ पी बूब द्वारा श्री कृष्ण गोपाल 11–आदर्श कॉलोनी बीकानेर द्वारा खनिज बजरी हेतु निकट ग्राम 1 बीएसएम (जमाबंदी के अनुसार शुद्ध रकबा राज क्लासीफिकेशन रेंज के लिये आरक्षित) जिला बीकानेर हेतु क्षैत्र 3.79 हेक्टर के लिये एक खनन पटटा आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 01.05.1996 को प्रस्तुत किया गया। आवेदन शुल्क रू. 500/–डीडी नंबर 719780 दिनांक 30.04.96 प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट मे खनि कार्य देशक द्वारा क्षैत्र राजकीय भूमि होना सूचित किया है। औपचारिकताऐं पूर्ण करने बाद कार्यालय के आदेश कमांक 1713–18 दिनांक 7.11.96 से खनन पटटा क्षैत्र 3.79 हैक्टर खनिज बजरी निकट ग्राम 1बीएसएमज जो स्थिरभाटक 18970/–वार्षिक अवधि सविदा पंजीयन से 20 वर्ष हेतु स्वीकृत किया गया। खनन पटटे हेतु संविदा का निष्पादन दिनांक 6.2.97 को किया गया। पट्टेधारनी द्वारा संविदा का पंजीयन उप पंजीयक बीकानेर कार्यालय से दिनांक 18.2.97 को कराया गया। पत्रावली मे खनन पटटे का ज्ञापन आदेश कमांक 1108–14 दिनांक 11.7.97 से जारी किया गया। जिसमे खननपटटे की अवधि 18.2.97 से 17.2.2017 दर्शायी गयी।

पटटेधारनी को चेतना पत्र कमांक 1325 दिनांक 4.3.99 जो किश्त देय राशि 18.2.98 से 17.2.99 तक राशि 19129/–जमा कराने हेतु जारी किया गया। चेतना पत्र की पालना नही करने पर खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 759 दिनांक 15.7.99 से निवेदन किया गया जिसकी प्रति पार्टी को भी दी गयी यह प्रति कार्यालय के रिकार्ड अनुसार 19.7.99 को तामिल हुई। उक्त पत्र मे चेतना पत्र दिनांक 4.3.99 जो पार्टी को दिनांक 6.3.99 को प्राप्त होना अंकित है। श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता बीकानेर के पत्रांक 1091 दिनांक 12.8.99 से खनन पटटा खण्डित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया । जिसकी पालना मे इस कार्यालय के आदेश कमांक 956–63 दिनांक 30.8.99 से खनन पटटा खण्डित करने के आदेश जारी किये गये। क्षैत्र का कब्जा राज्य पक्ष मे कार्यालय के खनि कार्य देशक द्वारा 8.9.99 को लिया गया, कब्जा लेने के उपरान्त उक्त क्षैत्र को बिभागीय नियमो के तहत दिनांक 1.8.2000 को रिक्त घोषित किया गया तथा उक्त रिक्त घोषित होने के बाद उक्त क्षैत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये। इस क्षैत्र पर पांच आवेदनपत्र प्राप्त हुवे जिनमे से एमएल 54/2000 श्रीमति विजयादेवी गुर्जर के पक्ष मे प्राथमिकता तय की गई। जिस पर इस क्षैत्र को स्वीकृत करने हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर बीकानेर को अनापत्ति पत्र बाबत लिखा गया ,लेकिन श्रीमान जिला कलेकटर द्वारा अनापत्ति नही दिये जाने के कारण एवं शासन की अधिसूचना दिनांक 3.4.13 द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 मे नियमो मे संशोधन किया जाकर राजकीय भूमि मे अप्रधान खनिज के दिनांक 27.1.2011 तक के प्राप्त आवेदनपत्रो मे से लंबित आवेदनपत्रो को अस्वीकृत किये जाने तथा भविष्य मे राजकीय भूमि मे खनन पटटे डेलीनियेशन के द्वारा ही आवेदित किये जाने के कारण उक्त एमएल 54/2000 के आवेदन पत्र को कार्यालय आदेश दिनांक 6.4.2013 द्वारा अस्वीकृत किया गया । उपरोक्त क्षैत्र बीकानेर जिले के मास्टर प्लान के परिधि नियत्रंण क्षैत्र मे आता है।

पट्टेधारी द्वारा वर्ष 2015 में माननीय न्यायालय अतिरिक्त निदेशक (खान) पर्यावरण एवं विकास निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर में अपील किये जाने पर एमएमसीआर 2017 के नियम 63(4) में प्रावधान अनुसार अपील 3 माह की अवधि में दायर नहीं होने से उनके आदेश दिनांक 27.09.2017 से नियम 63(4) के अन्तर्गत अस्वीकृत की गई।

पट्टेधारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एसबी सिविल रिट पिटीशन नं.196/2018 दायर की गई, जो माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 08.01.2018 से Dismissed की गई।

माननीय न्यायालय अतिरिक्त निदेशक (खान) पर्यावरण एवं विकास निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर द्वारा उक्त अपील (400/2017) निर्णय दिनांक 01.07.2021 करते हुवे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 30.08.1999 (खनन पट्टा खण्डित आदेश) को निरस्त किया गया व अपीलार्थी द्वारा शास्ति राशि रूपयें 50,000/– व रेन्ट, रॉयल्टी एवं समस्त बकाया राशि जमा कराने पर वर्तमान नियमानुसार खनन पट्टा बहाल किये जाने के आदेश जारी किये गये। अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन अनुसार बकाया राशि 25,55,825/–रू. जमा करवा दिये है।

चूंकि यह खनन पट्टा एमएमसीआर 1986 के तहत् वर्ष 1997 में आवंटित हुआ था, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त खनन पट्टा बहाल किया जाना हैं परन्तु वर्तमान नवीन नियमों आरएमएमसीआर 2017 के तहत् राजकीय भूमि में आवंटन किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त प्रकरण में श्रीमान् कलेक्टर द्वारा एनओसी प्राप्त किया जावे या नहीं व साथ ही अपील निर्णय दिनांक 01.07.2021 का अवलोकन कर उच्च स्तर पर अपील की जावे या नहीं विधिक राय के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र दिनांक 30.07.2021 से निदेशक महोदय उदयपुर से मार्गदर्शन चाहा गया है।

संलग्न :– दैनिक भास्कर में छपी खबर की प्रति।

बीकानेर खनिज अभियंता श्री राजेन्द्र बलारा द्वारा राज्य सरकार को इस मामले मे प्रस्तुत की गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट

खनि अभियंता, बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग बीकानेर

तथ्यात्मक टिप्पणी

दैनिक भास्कर दिनांक 19.08.2021 में छपी खबर श्रीमती राजकूमारी बूब एमएल 39/96

श्रीमति राजकुमारी बूब पत्नि श्री ओ पी बूब द्वारा श्री कृष्ण गोपाल 11–आदर्श कॉलोनी बीकानेर द्वारा खनिज बजरी हेतु निकट ग्राम 1 बीएसएम (जमाबंदी के अनुसार शुद्ध रकबा राज क्लासीफिकेशन रेंज के लिये आरक्षित) जिला बीकानेर हेतु क्षेत्र 3.035 हैक्टेयर के लिये एक खनन पटटा वास्ते आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 01.05.1996 को प्रस्तुत किया गया। आवेदन शुल्क रू. 500/– डीडी नंबर 719781 दिनांक 30.04.96 प्रस्तुत किया गया । औपचारिकताऐं पूर्ण करने के बाद कार्यालय के आदेश दिनांक 07.11.1996 से खनन पट्टा 3.035 हैक्टेयर खनिज बजरी निकट ग्राम 1बीएसएम तहसील व जिला बीकानेर वार्षिक स्थिर भाटक 15176/– अवधि संविदा पंजीयन से 20 वर्ष हेतु स्वीकृत किया गया। संविदा का निष्पादन दिनांक 06.02.97 को किया जाकर पंजीयन दिनांक 18.02.97 को हुआ और खनन पट्टे की अवधि दिनांक 17.02.17 तक दर्शायी गयी है।

पट्टेधारी द्वारा दिनांक 18.02.98 से 17.11.98 तक बकाया राशि (स्थिर भाटक) रू. 8764/– जमा नहीं कराने पर चेतना पत्र दिनांक 04.03.99 जारी किया गया। जिसकी पालना नहीं किये जाने पर कार्यालय पत्र दिनांक 15.07.99 से अखअ बीकानेर से खनन पट्टा खण्डित करने की अनुमति प्राप्त कर कार्यालय आदेश दिनांक 30.08.99 से प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए खनन पट्टा खण्डित किया गया व दिनांक 08.09.99 को क्षेत्र का कब्जा राज्य पक्ष लिया गया, कब्जा लेने के उपरान्त उक्त क्षेत्र को विभागिय नियमों के तहत दिनांक 01.8.2000 को रिक्त घोषित किया गया तथा उक्त क्षेत्र रिक्त घोषित होने के बाद उक्त क्षेत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये। उक्त क्षेत्र पर 4 आवेदनपत्र प्राप्त हुए। उक्त 4 आवेदन पत्रों मे सें एमएल 46/2000 श्री ओमप्रकाश पंचारिया के पक्ष में प्राथमिकता तय की गई। जिस पर इस क्षेत्र को स्वीकृत करने हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर द्वारा अनापत्ति नहीं दिये जाने के कारण एवं शासन की अधिसूचना दिनांक 03.04.2013 द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 में नियमों में संशोधन किया जाकर राजकीय भूमि में अप्रधान खनिज के दिनांक 27.01.2011 तक के प्राप्त आवेदनपत्रों में से लंबित आवेदनपत्रों को अस्वीकृत किये जाने तथा भविष्य में राजकीय भूमि में खनन पट्टे डेलीनियेशन कार्य कर खनन पट्टे दिये जाने का प्रावधान किया गया। जिसकी पालना में उक्त एमएल 46/2000 के आवेदन पत्र को कार्यालय आदेश दिनांक 06.04.2013 द्वारा अस्वीकृत किया गया। **उपरोक्त क्षैत्र बीकानेर जिले के मास्टर प्लान के परिधि नियत्रंण क्षैत्र मे आता है।**

पट्टेधारी द्वारा वर्ष 2015 में माननीय न्यायालय अतिरिक्त निदेशक (खान) पर्यावरण एवं विकास निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर में अपील किये जाने पर एमएमसीआर 2017 के नियम 63(4) में प्रावधान अनुसार अपील 3 माह की अवधि में दायर नहीं होने से उनके आदेश दिनांक 27.09.2017 से नियम 63(4) के अन्तर्गत अस्वीकृत की गई।

पट्टेधारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एसबी सिविल रिट पिटीशन नं.204/2018 दायर की गई, जो माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 08.01.2018 से Dismissed की गई।

माननीय न्यायालय अतिरिक्त निदेशक (खान) पर्यावरण एवं विकास निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर द्वारा उक्त अपील (401/2017) निर्णय दिनांक 01.07.2021 करते हुवे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 30.08.1999 (खनन पट्टा खण्डित आदेश) को निरस्त किया गया व अपीलार्थी द्वारा शास्ति राशि रूपयें 50,000/– व रेन्ट, रॉयल्टी एवं समस्त बकाया राशि जमा कराने पर वर्तमान नियमानुसार खनन पट्टा बहाल किये जाने के आदेश जारी किये गये। अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन अनुसार बकाया राशि 20,55,166/–रू. जमा करवा दिये है।

चूंकि यह खनन पट्टा एमएमसीआर 1986 के तहत् वर्ष 1997 में आवंटित हुआ था, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त खनन पट्टा बहाल किया जाना हैं परन्तु वर्तमान नवीन नियमों आरएमएमसीआर 2017 के तहत् राजकीय भूमि में आवंटन किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त प्रकरण में श्रीमान् कलेक्टर द्वारा एनओसी प्राप्त किया जावे या नहीं व साथ ही अपील निर्णय दिनांक 01.07.2021 का अवलोकन कर उच्च स्तर पर अपील की जावे या नहीं विधिक राय के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र दिनांक 30.07.2021 से निदेशक महोदय उदयपुर से मार्गदर्शन चाहा गया है।

संलग्न :– दैनिक भास्कर में छपी खबर की प्रति।

खनि अभियंता, बीकानेर

बीकानेर खनिज अभियंता श्री राजेन्द्र बलारा द्वारा राज्य सरकार को इस मामले मे प्रस्तुत की गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट

जवाब मांगते सवाल?

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान)उदयपुर द्वारा इस मामले मे की गयी अपीलो मे ऐसे क्या तथ्य देखे जो उन्होने सभी नियम कायदों को ताक पर रखते हुए 21 साल पुराने पट्टों को बहाल कर दिया?
2. मास्टर प्लान मे आ रहे खनन क्षेत्र के चलते,बीकानेर कलेक्टर महोदय की एनओसी के बगैर एवं बिना ई ऑक्शन किए जारी किए गए खनन पट्टों को कैसे बहाल किया गया?
3. जब सरकार से एक अगस्त 2000 को इस खनन पट्टों को निरस्त कर गज़ट नोटिफिकेशन द्वारा रिक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया था तो उसके बावजूद कहीं इन खनन पट्टों पर खान मालिक द्वारा अवैध खनन तो नहीं किया जा रहा था?
4. जब वर्तमान मे आरएमएमसीआर 2017 प्रभावी है तो अपीलीय अधिकारी द्वारा एमएमसीआर 1986 के प्रावधानों के तहत निर्णय कैसे पारित किया?
5. क्या राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त निदेशक(खान)निदेशालय व अन्य अपीलीय अधिकारियों द्वारा विगत चार सालों मे पारित अपीलीय निर्णयों की जांच करवाई जाएगी, जिनमे उनके द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली 17 के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी हो|

6. क्या इस मामले मे बीकानेर खनिज अभियंता श्री राजेन्द्र बलारा की भूमिका संदिग्ध नहीं है, क्यूंकि उनके द्वारा अपील के समय एवं राज्य सरकार/विभाग के आला अधिकारियों द्वारा जवाबतलब करने पर गलत/भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कर निरंतर गुमराह किया गया|यदि वह समय रहते विभाग का पक्ष रखते हुए,राजस्व हित मे सही जानकारी उपलब्ध करवाते तो रिक्त क्षेत्र घोषित इन खानों के ऑक्शन से करीब 2 करोड़ रुपयों के राजस्व की प्राप्ति होती|
7. इस मामले मे बीकानेर खनिज अभियंता श्री राजेन्द्र बलारा द्वारा निदेशक महोदय,उदयपुर से मार्गदर्शन मांगने पर उनके द्वारा आज दिनांक तक मार्गदर्शन दिया गया या नहीं,यदि दिया गया तो क्या मार्गदर्शन दिया गया?
8. आखिर बीकानेर खनिज अभियंता श्री राजेन्द्र बलारा लगातार इस तथ्यात्मक रिपोर्ट के माध्यम से क्या यही सिद्ध करना चाहते है कि उनके विभाग का इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है?क्या यह उनका दायित्व नहीं था कि वह अपील के

समय सही तथ्यों से अपने आला अधिकारी को अवगत करवाते?

9. क्या खान विभाग के आला अधिकारी बीकानेर खनिज अभियंता श्री राजेन्द्र बलारा द्वारा इस मामले मे भेजी गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट से संतुष्ट है?

10. क्या राज्य सरकार राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली 17 के प्रावधान 64(1) के तहत अपने रिविज़न के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली 17 के प्रावधानो,राजस्व हित मे अतिरिक्त निदेशक(खान)निदेशालय द्वारा पारित निर्णयों को खारिज करेगी?

64. Revision.- (1) The Government, in respect of any order passed in appeal or otherwise under these rules by any officer, may on an application by an aggrieved party or of its own motion call for and examine the connected records for the purpose of satisfying itself as to the correctness, legality or propriety of such order, may confirm, modify or rescind such order.

(2) A revision shall be filed within three months of the date of communication of the order:

Provided that an application for revision may be admitted by the Government after the said period of three months if the Government is satisfied that the applicant had sufficient cause for not filing the revision application in time but the revision shall not be admitted after expiry of six month from the date of order revisioned against.

(3) Every application for revision shall be made in Form -30 in duplicate and shall be accompanied by a fee of rupees five thousand.

राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली 17 का प्रावधान 64(1) जिसमे राज्य सरकार को अपीलीय निर्णयों को खारिज करने के अधिकार है

11. आखिर कौन है यह बाहुबली खनन व्यवसायी जिसको निजी फायदा पहुचाने के लिए खान विभाग के आला अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे है?

12. इस बाहुबली खनन व्यवसायी को बीकानेर और्व अन्य क्षेत्रों मे कौन कितने खनन पट्टे जारी किए गए है?उन खनन पट्टों मे अवैध खनन याअन्य अनियमितताओं से संबन्धित कोई शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई है?

13. क्या खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुबोध अग्रवाल को बीकानेर के खान अधिकारियों द्वारा किए जा रहे गौरखधंधो की जानकारी है?